राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(बी–391) अलेसे–I/151 दिनांकः– 06/05/22

आदेश

श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं. 4477) (निलम्बित), हाल मुख्यालय–कोषाधिकारी, करौली को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने आदेश कमांक 1921 दिनांक 10.12.2020 द्वारा कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली के विरूद्ध प्रथम दृष्टया फर्जी भुगतान, राजकोष को हानि पहुंचाने एवं गबन किया जाना पाये जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही से अवगत करा, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया था। निदेशालय के आदेश संख्या 245/2020–21 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, जयपुर के उक्त आदेश की पुष्टि की गई।

श्री मीना को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मीना द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–।(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्वि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(बी–391) अलेसे–I/151 दिनांकः– 06/05/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली।
4 कोषाधिकारी, करौली।
5 श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–।(निलम्बित), मुख्यालय–कोषाधिकारी, करौली।
6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)